सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा श्री सनित कुमार यादव (उधारकर्ता), श्री ज्वाला प्रसाद यादव के पुत्र, श्रीमती उमा देवी (दिवंगत) (सह–उधारकर्ता), तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव (सह–उधारकर्ता) को एक ऋण प्रदान किया गया था, जिसे तत्पश्चात पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया, उक्त ऋण अचल संपत्ति के बंधक के विरुद्ध प्रदान किया गया था, अर्थात "संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय भवन जिसका खसरा संख्या 1222, मोहल्ला–पाण्डेयवाला, ज्वालापुर, परगना–ज्वालापुर, तहसील एवं जिला–हरिद्वार, नगर निगम, हरिद्वार की सीमाओं के अंतर्गत, जिसका क्षेत्रफल 1,265.75 वर्ग फुट या 117.63 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएं : पूर्वः 40 फुट साईड क्षेत्रफल – 12 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 43 फुट साईड क्षेत्रफल – विक्रेता की भूमि, उत्तरः 31 फुट साईड क्षेत्रफल – श्री होटी सिंह का मकान, दक्षिणः 30 फुट साईड क्षेत्रफल – श्री राजपाल शर्मा की भूमि उपर्युक्त संपत्ति श्रीमती उमा देवी (दिवंगत) के स्वामित्व में थी।

तत्पश्चात, पीसीएचएफएल ने उक्त ऋण खाते को उक्त संपत्ति के संबंध में प्रतिभूति हित सहित दिनांक 27.12.2024 की समनुदेशन विलेख के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को समनुदेशित कर दिया है, जिसका निपटान श्री सनित कुमार यादव (उधारकर्ता), पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद यादव द्वारा किया गया है।

बंधककर्ता, श्रीमती उमा देवी का देहांत हो गया है, उनके पीछे श्री सनित कुमार यादव (पुत्र) तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव (पति), उनके विधिक वारिस के रूप में रह गए हैं। ऋण खाते के निपटान के दृष्टिगत, बैंक बंधक रखी गई संपत्ति से संबंधित मूल स्वामित्व दस्तावेज उक्त विधिक वारिसों के पक्ष में जारी करने की प्रक्रिया में है।

यदि किसी व्यक्ति का उपर्युक्त वर्णित संपत्ति पर कोई दावा या स्वामित्व हित है, तो वह तत्काल सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर उक्त दावे के प्रमाण सहित बैंक की अधिकारी सुश्री इंदु एस. (मोबाइल नं. +91 8527722966), ई–मेल: indu.s@kotak.com से संपर्क कर सकता है अथवा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313 पर उपस्थित हो सकता है, ऐसा न करने पर बैंक बंधककर्ता के विधिक वारिसों को बंधक रखी गई संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज जारी कर देगा।

स्थानः हरिद्वार, उत्तराखंड — कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
दिनांकः 20.09.2026 — अधिकृत प्रतिनिधि

सार्वजनिक घोषणा का शुद्धिपत्र

(फॉर्म ए में संपूर्ण सार्वजनिक घोषणा का पुनर्प्रकाशन)
(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अनुसार)

अकाउंटेबिलिट जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

शुद्धिपत्र/ पुनर्प्रकाशन नोटः 12 सितम्बर, 2026 को मूल रूप से प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा में मद संख्या 7 के अंतर्गत उल्लिखित परिसमापक के टेलीफोन नंबर में अनजाने में त्रुटि रह गई थी। तदनुसार, संशोधित टेलीफोन नंबर को सम्मिलित करते हुए, संपूर्ण फॉर्म ए सार्वजनिक घोषणा को इस 20 सितम्बर, 2026 दिनांकित शुद्धिपत्र के माध्यम से पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों को संशोधित विवरणों का संज्ञान लेने और अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु, दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 20 अक्टूबर, 2026 कर दी गई है। तदनुसार, हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावों का प्रमाण 20 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले प्रस्तुत करें। सार्वजनिक घोषणा के अन्य सभी विवरण, नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, सिवाय उस सीमा तक जिन्हें इस शुद्धिपत्र द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है।

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का विनियम 14]

अकाउंटेबिलिट जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	अकाउंटेबिलिटी जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले बिजनेस एंड डिसीजन जीडीसी प्राइवेट लिमिटेड, और उससे पहले इनफोर्टे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	20.04.2005
3	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	कंपनी के रजिस्ट्रार – हरियाणा
4	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट व्यक्ति की सीमित देयता पहचान संख्या	सीआईएनः **U00892HR2005PTC035699**
5	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय यदि कोई हो का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** यूनिट नं. 306–307, तीसरी मंजिल, यूनिटेक ट्रेड सेंटर, सुशांत लोक 1, ब्लॉक–सी, गुरुग्राम – 122002, हरियाणा, भारत प्रधान कार्यालयः पंजीकृत कार्यालय के समान (कॉर्पोरेट व्यक्ति का कोई अलग प्रधान कार्यालय नहीं है)
6	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिसमापन की आरंभ तिथि	07.09.2026
7	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	**नामः** सीएस (आईपी) विकास कुमार गर्ग **पताः** डी–214, ग्राउंड फ्लोर, रामप्रस्था कॉलोनी, गाजियाबाद – 201011, उत्तर प्रदेश ईमेल – **gdvoluntaryliquidation@gmail.com, vikasgarg_k@outlook.com** टेलीफोन –.91 99991 48006 पंजीकरण संख्या – **IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291**
8	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.10.2026

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अकाउंटेबिलिट जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 7 सितम्बर, 2026 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारंभ कर दिया है।

अकाउंटेबिलिट जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्द्वारा आह्वान किया जाता है कि वे अपने दावों का प्रमाण 20 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले, ऊपर मद संख्या 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ताक्षर/–
सीएस विकास कुमार गर्ग
अकाउंटेबिलिट जीडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक
(स्वैच्छिक परिसमापन में)
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291
एएफए 31.12.2026 तक वैध
ई–मेलः gdvoluntaryliquidation@gmail.com
दिनांकः 20 सितम्बर, 2026
स्थानः नई दिल्ली

जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L35911HR1965PLC004485
पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर–135001, हरियाणा
कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 408, चौथी मंजिल, टावर–बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर–27डी, एनएच2, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा),
दूरभाष–0129–4006885; **वेबसाइटः** www.jaispring.com
ईमेल आईडीः investor.relations@jaispring.com

सूचना

आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डीमैट खाते में वित्तीय वर्ष 2019–20 (अंतिरम)की गैर भुगतेय और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(5) और (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (''नियम'') के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक है। कंपनी को ऐसे सभी शेयर भी आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने होंगे, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, निम्नलिखित को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हैः

आईईपीएफ में स्थानांतरण का विवरण	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि	कंपनी को अग्रेषित की जाने वाली दावा करने की तिथि
दावारहित लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20 (अंतिरम)	15 दिसंबर, 2026	30 नवंबर 2026 को या उससे पहले

व्यक्तिगत नोटिस पहले ही उन संबंधित शेयरधारकों को भेजे जा चुके हैं, जिनके शेयर उचित कार्रवाई करने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आईईएफपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों का विवरण भी अपनी वेबसाइट https://www.jaispring.com पर अपलोड किए गए हैं जिनके शेयर और लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के लिए नियत है। यदि आपने पिछले सात लगातार वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और राशि आपके फोलियो/डीमैट खाते में गैर भुगतान /अदावाकृत पड़ी है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर उपरोक्त लाभांश के लिए अपना दावा प्रस्तुत करें:

(i) सभी संयुक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो
(ii) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
(iii) रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रति
(iv) सेबी के हालिया परिपत्र के अनुसार केवाईसी फॉर्म लागू है। फॉर्म/प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर निवेशक संबंध टैब> कॉरपोरेट गवर्नेंसझ केवाईसी अपडेट के तहत उपलब्ध हैं।

कृपया उपरोक्त दस्तावेज कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे दिए गए पते पर भेजें: –

कंपनी को	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को
जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड चौथी मंजिल, टॉवर बी, वाटिका माइंडस्केप, मथुरा रोड, सेक्टर–27डी, फरीदाबाद–121003, हरियाणा संपर्क नंबर 0129–4006885 ईमेलः investor.relations@jaispring.com	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी–153ए, प्रथम तल,ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020,फोन नंबरः 011–40450193–97 ईमेलः parveen@skylinerta.com grievances@skylinerta.com संपर्क हेतु व्यक्तिः श्री परवीन शर्मा

शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का नकदीकरण या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को बिना किसी अन्य सूचना के उक्त नियत तारीख तक आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक होगा।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों दोनों के लिए आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर सकता और फॉर्म आईईपीएफ–5 में इसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति कंपनी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा।

कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
प्रवीण लखेड़ा
कंपनी सचिव और प्रमुख–कानूनी
स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 19.09.2026

---

pnb Housing Finance Limited
पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001, दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : इंटर–आलिया (भूखंड सं. 67 एवं 68, प्रथम तल, टाईप–बी, नेहरू ग्राउंड, न्यू टाउनशिप, पोस्ट ऑफिस के पास, तहसील–बढ़खल, फरीदाबाद, हरियाणा–201301)

अधिग्रहण सूचना, अचल संपत्ति हेतु, नियम 8(1) तथा परिशिष्ट–IV के अनुसार

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचना/एं प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि को निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक खाता के समक्ष अंकितानुसार राशि का सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/गण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति/यों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/ओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन–देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऋणानुबंध के अनुसार एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या(एँ)	ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना की तिथि	मांग सूचना में अंकित तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण लिये जाने की तिथि / अधिग्रहण का प्रकार	बंधककृत संपत्ति/यों का विवरण
NHL/RFAR/ 0525/5337630 शाखा कार्यालय फरीदाबाद	**श्री परमल (ऋणकर्ता) तथा श्रीमती सुनीता (सह–ऋणकर्ता)**	**11–जून 2026**	रु. 18,16,115.98/– (रुपये अट्ठारह लाख सोलह हजार एक सौ पंद्रह तथा अट्ठानबे पैसे मात्र)	15–09–2026 (सांकेतिक)	संपत्ति के समस्त वे भाग तथा अंश, जो खेवट खाता सं. 803/911 एमयू नं. 9 किला नं. 17/3(4–3), 24(8–0), ग्राम– काशीपुर, तहसील एवं जनपद– पलवल, हरियाणा– 121107 में स्थित है।

दिनांक : 20–09–2026 — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा — **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

Piramal Finance

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639, पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं.–601, 6ठवाँ तल, पिरामल अमिति बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070 – दूरभाष : +91 22 3802 4000

कब्जा सूचना अचल संपत्ति के लिए (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8–(1) तथा परिशिष्ट– IV के अनुसार)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित ऋणधारक (ऋणधारकों) / जमानतदार (जमानतदारों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। ऋणधारक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्वारा ऋणधारक (ऋणधारकों) / जमानतदार (जमानतदारों) तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति का कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन उस पर ब्याज सहित नीचे उल्लिखित राशि के लिए पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक (कों) / जमानतदार (रों) का नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा की तिथि
(एल सी नं. 06000005345), (लखनऊ – एमएमएम मार्ग – उत्तर प्रदेश) हरिंदर कुमार (ऋणधारक का नाम) / ज्ञानती देवी (सह–ऋणधारक)	संपत्ति का संपूर्ण भाग तथा खंड जिसका क्षेत्रफल :– प्लॉट नं. 25, खसरा नं. 1772 का भाग, मापन 1500 वर्ग फीट है, जो ग्राम जुगगौर, लखनऊ में स्थित है।	तिथि : 16–03–2026 हेतु रु. 21,53,284/– (इक्कीस लाख तिरेपन हजार दो सौ चौरासी मात्र)	15–सितंबर –2026

स्थान : लखनऊ, तिथि : 20–09–2026 — **(प्राधिकृत अधिकारी) पिरामल फाइनेंस लिमिटेड**

HDB FINANCIAL SERVICES — From the trusted family of HDFC Bank

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत मोचन सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009 **शाखा कार्यालयः** एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड.ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–30200

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार कंपनी के बकाए की वसूली हेतु **''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जो है यही है''** के आधार पर विक्रय करने का अधिकार रखते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

1. कर्जदार/रों तथा जमानती/यों का नाम एवं पता 2. से कुल बकाया + ब्याज	संपत्ति का विवरण
1– **सृष्टि क्रिएशन**, एच1 192 सृष्टि क्रिएशन रीको अपैरल पार्क जगतपुरा जयपुर जयपुर–302017 राजस्थान और इसके अलावा– 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 110, प्लॉट नंबर 222 स्कीमदादू दयाल नगर सी डी ब्लॉक ग्राम कल्याण नगर सांगानेर जयपुर–302017 में 2– **गिरधारी सिंह**, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिक्छा जगतपुरा जयपुर–302017 राजस्थान। 3– **योगेन्द्र सिंह गुर्जर**, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिक्छा जगतपुरा जयपुर–302017 राजस्थान। 4– **कविता गुर्जर**, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिक्छा जगतपुरा जयपुर–302017 राजस्थान। दावाकृत राशिः रु. 5001498.17/– (रुपये पचास लाख एक हजार चार सौ अट्ठानबे पैसे मात्र) 11.08.2025 तक वास्तविक वसूली तक अन्य आकस्मिक, लागत और खर्चों के साथ	प्लॉट नंबर 222, स्कीम दादू दयाल नगर सी, डी ब्लॉक, गाँव कल्याण नगर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) में 5वीं मंज़िल पर स्थित फ्लैट नंबर 110 का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 1600.00 वर्ग फुट है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर – प्लॉट नंबर 223, दक्षिण – प्लॉट नंबर 221, पूर्व – सड़क, पश्चिम – प्लॉट नंबर 225

ऋण खाता संख्या : 27593615 | **मांग सूचना की तिथि : 16.08.2025** | **कब्जा सूचना की तिथि : 14.03.2026**

शीर्षक विषय वस्तु के संदर्भ में, हम आपको सूचित करते हैं कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार होने के नाते, तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उक्त मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें आपसे उक्त मांग सूचना में विशेष रूप से उल्लिखित बकाया राशि को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया गया है।

हम बताते हैं कि दिनांक 16–08–2025 को माँग सूचना प्राप्त होने के बावजूद, आप बकाया राशि का भुगतान करने और/या उक्त नोटिस में निहित माँगों का पालन करने में विफल रहे हैं और उपेक्षा की है। हम बताते हैं कि इसके बाद दिनांक 14–03–2026 को प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सीजेएम न्यायालय मेट्रोपोलिटन जयपुर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–01–2026 के अनुपालन में उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

हम बताते हैं कि प्रतिभूति ऋणदाता ने पूर्वोक्त प्रतिभूत संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है और इसके द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि के माध्यम से पूर्वोक्त प्रतिभूत संपत्ति के निपटान के लिए आगे कदम उठाने का इरादा रखता है।

यह सूचना आपको सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार मोचन के अधिकार हेतु प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में दिया जा रहा है, जो इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और आपको इसके द्वारा सूचित एवं अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त अचल संपत्ति ई–नीलामी या निजी संधि के माध्यम से बेची जाएगी।

इन परिस्थितियों में, हम आपसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग, बकाया राशि के साथ–साथ संपत्ति का कब्जा लेते समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उठाए गए सभी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों या उस पर हुए किसी भी आकस्मिक व्यय का भुगतान बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि को या उससे पहले करने का आह्वान करते हैं अन्यथा वित्तीय संस्थान नियुक्त तिथि को बंधक संपत्ति बेचने के लिए बाध्य होगा, जिसे कृपया ध्यान दें।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों की पूर्वोक्त वैधानिक अवधि के भीतर कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं या उपेक्षा करते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी के पास उपरोक्त ऋण सुविधा के संबंध में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बकाया देय राशि को वसूलने के लिए उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति को बेचने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

यह सूचना हमारे वित्तीय संस्थान के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी किया गया है।

स्थानः जयपुर, तिथिः 20.09.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः सं. 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर–टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, साइबर हाइट्स,विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.–226010 ईमेलः action@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम – उमेश सिंह चौहान – 9838202386 ● आरआरएम – पुष्कर अवस्थी – 9453043399
आरएलएम – ब्रजेश अवस्थी – 9918301885

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें] ई–नीलामी सह–बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट–IV ए) {नियम 8(6)}

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे ''नियम'' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (जिसे आगे''अधिनियम''कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार), जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई–600015 में है, और इसका एक शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी प्लॉट नंबर–टीसी/जी–2/2 एवं टीसी/जी–5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी.–226010 पर है,के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उस सम्पत्ति को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **''जहाँ है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com और नबजपवद/पिदकनरीवनेपदहपिदंदबमण्बवउ पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

संपत्ति की निरीक्षण तिथिः 20/10/2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 21/10/2026 को शाम 5.00 तक
ई–नीलामी तिथि तिथि एवं समय : 23/10/2026, को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता सं. और उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/ गारंटरों का नाम	धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और राशि, ...तक कुल बकाया राशि	कब्ज़ा की तारीख और प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	UP/LKW/LKNW/A000001718 1. श्री अभिनव सिंह वास्ते माता बादल सिंह, 2. श्रीमती रेनू सिंह वास्ते अभिनव सिंह, निवासी : 2/357 विनम्र खंड, एमिटी स्कूल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –226010	2/अप्रैल/2026 और रु.38,60,151/– 17/मार्च/2026 तक रु. 38,60,151/–	22–जुलाई–2026 सांकेतिक कब्ज़ा	रू.85,74,000/